# HRA AN UNIVERSALE OF India

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3931

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2013/श्रावण 14, 1935

No. 3931

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2013/SRAVANA 14, 1935

# भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

# अधिसूचना

मुंबई, 10 जुलाई, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 530(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

# 2. विनियम में संशोधन

विनियम 10सी के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा,

"डी. अनिवासी भारतीय सहित कोई अनिवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत, किसी पंजीकृत दलाल (ब्रोकर) के जिरये, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबध्द भारतीय कंपनी के शेयर अर्जित कर सकता है बशर्ते कि:

- ए. अनिवासी निवेशक ने सेबी (सबस्टैन्शियल एक्विज़िशन आफ शेयर्स ऐण्ड टेकओवर्स) विनियमावली के अनुसार पहले ही नियंत्रण प्राप्त किया है और ऐसा नियंत्रण बनाये रखा है;
- बी. अनिवासियों को अंतरण के लिए मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में शेयरों की खरीद हेतु प्रतिफल राशि 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 8 में किए गए विनिर्देशानुसार अथवा सेबी (सबस्टैन्शियल एक्विज़िशन आफ शेयर्स ऐण्ड टेकओवर्स) विनियमावली के अनुसार अनिवासी द्वारा जिस निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी का नियंत्रण प्राप्त किया गया है और उसे बनाए रखा गया है, से प्राप्य लाभांश से अदा की जा सकती है, बशर्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सुस्थापित (established) हो और मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में शेयरों के अर्जन के लिए लाभांश राशि विशेष रूप से नामित ब्याज रहित रूपया खाते में जमा की गयी हो।"

[सं. फेमा 279/2013-आर बी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : प्रमुख नियमन शासकीय राजपत्र द्वारा सं. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 8 मई, 2000, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया :-

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 2-3-2001

सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13-3-2001

सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14-3-2001

सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 2-1-2002

सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19-8-2002

सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18-3-2003

सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18-3-2003

सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22-7-2003

सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23-10-2003

सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22-11-2003

सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 7-1-2004

सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23-4-2004

सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16-7-2004

सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21-9-2004

सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 8-12-2004

सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 1-4-2005

सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 1-4-2005

सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25-7-2005

सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25-7-2005

सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29-7-2005

सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22-12-2005

```
सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19-1-2006
सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11-7-2006
सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14-11-2007
सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14-11-2007
सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29-11-2007
सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 5-8-2008
सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30-12-2008
सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 1-12-2009
सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 21-4-2010
सा.का.नि. सं. 606(अ), दिनांक 3-8-2012
सा.का.नि. सं. 795(अ), दिनांक 20-10-2012
सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30-10-2012
सा.का.नि. सं. 797(अ), दिनांक 30-10-2012
सा.का.नि. सं. 821(अ), दिनांक 10-11-2012
सा.का.नि. सं. 946(अ), दिनांक 31-12-2012
सा.का.नि. सं. 38(अ), दिनांक 22-1-2013
सा.का.नि. सं. ..... दिनांक .....
सा.का.नि. सं. ..... दिनांक .....
सा.का.नि. सं. ..... दिनांक .....
सा.का.नि. सं. 195(अ), दिनांक 1-4-2013
सा.का.नि. सं. 341(अ). दिनांक 28-5-2013
सा.का.नि. सं. ..... दिनांक .....
सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 21-6-2013
```

### **RESERVE BANK OF INDIA**

# (Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th July, 2013

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 530(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB dated 3rd May 2000), hereinafter called 'Principal Regulations' namely:—

b. The amount of consideration for purchase of shares on the recognised stock exchange for transfer to non-residents may be paid as specified in para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA.20/2000-RB dated 3rd May, 2000 or out of the dividend payable by Indian investee company in which the non- resident has acquired and continues to hold the control in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, provided the right to receive dividend is established and the dividend amount has been credited to specially designated non-interest bearing rupee account for acquisition of shares on the recognised stock exchange.

[No. FEMA 279/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:—

```
G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No.
           4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No.821(E) dated 10.11.2012
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No.
                  dated
 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No.
              dated
G.S.R.No.
                 dated
G.S.R.No.
                 dated
G.S.R.No.341(E) dated 28.05.2013,
G.S.R.No.
                 dated
G.S.R.No.195(E) dated 01.04.2013,
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
```

# अधिसूचना

# मुंबई, 10 जुलाई, 2013

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 531(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के ख़ंड (एफ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्निलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

# 2. विनियम में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 5 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (5) जोड़ा जाएगा,

"(5) अनिवासी भारतीय सहित कोई अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) के विनियम 10डी के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज से शेयरों की खरीद के सीमित प्रयोजन के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास एकल ब्याज-रहित रुपया खाता खोल सकता है।"

[सं. फेमा 280/2013-आर बी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली, 5 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 388(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

- (क) सा.का.नि. सं. 262(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2002
- (ख) सा.का.नि. सं. 577(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2002
- (ग) सा.का.नि. सं. 855(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2002
- (घ) सा.का.नि. सं. 494(अ), दिनांक ४ अगस्त, 2004
- (ङ) सा.का.नि. सं. 221(अ), दिनांक 7 अप्रैल, 2005
- (च) सा.का.नि. सं. 663(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2005
- (छ) सा.का.नि. सं. 28(अ), दिनांक 19 जनवरी, 2006
- (ज) सा.का.नि. सं. 495(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2007

33949113-

- (झ) सा.का.नि. सं. 664(अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2007
- (ञ) सा.का.नि. सं. 714(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2007
- (ट) सा.का.नि. सं. 91(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2008
- (ठ) सा.का.नि. सं. 442(अ), दिनांक 23 जून, 2009
- (ड) सा.का.नि. सं. 798(अ), दिनांक 30 अक्तूबर, 2012
- (ढ) सा.का.नि. सं. 822(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2012
- (ण) सा.का.नि. सं. 893(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 और
- (त) सा.का.नि. सं. 26(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2013

### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th July, 2013

# Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.5/2000-RB dated 3rd May 2000), hereinafter called 'Principal Regulations' namely:—

### 1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. Amendment of Regulation

In Regulation 5 of the Principal Regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation (5) shall be added:

"(5) A non-resident including a Non Resident Indian (NRI) may open a single non-interest bearing Rupee Account with the Authorised Dealers in India without the prior approval of Reserve Bank of India, for the limited purpose of purchase of shares on the recognized stock exchanges in accordance with Regulation 10D of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.20/2000-RB dated 3rd May 2000)."

[No. FEMA 280/2013-RB]

### RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

**Foot Note :** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 388(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

- (a) G.S.R. No. 262(E) dated April 9, 2002
- (b) G.S.R. No. 577(E) dated August 19, 2002
- (c) G.S.R. No. 855(E) dated December 31, 2002
- (d) G.S.R. No. 494(E) dated August 4, 2004
- (e) G.S.R. No. 221(E) dated April 7, 2005
- (f) G.S.R. No. 663(E) dated November 14, 2005
- (g) G.S.R. No. 28 (E) dated January 19, 2006
- (h) G.S.R. No. 495(E) dated July 23, 2007
- (i) G.S.R. No. 664(E) dated October 16, 2007
- (j) G.S.R. No.714 (E) dated November 14, 2007
- (k) G.S.R. No.91 (E) dated February 15, 2008

- (i) G.S.R. No.442 (E) dated June 23, 2009
- (m) G.S.R. No.822 (E) dated November 10, 2012
- (n) G.S.R. No.893 (E) dated December 17, 2012 (o) G.S.R. No.798 (E) dated October 30, 2012
- (p) G.S.R. No.26(E) dated January 17, 2013